महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – अढ़तालीसवां संस्करण (माह अक्टूबर, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. श्री राहुल भटनागर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में आगमन एवं ''टीएनए'' कार्यशाला का शुभारंभ
3. विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र बनाने की एक पहल
5. सुविचारित कर्ज
6. आपकी सरकार आपके द्वार
7. भारत की ''पंचायतराज व्यवस्था'' – ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन के लिए पुरातन काल से लेकर आज भी कारगर

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का अढ़तालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का छटवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण **''श्री राहुल भटनागर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में आगमन एवं ''टीएनए'' कार्यशाला का शुभारंभ''** आलेख द्वारा श्री राहुल भटनागर (आईएएस), सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का संस्थान में आगमन एवं उनके कर कमलों द्वारा ''म.प्र. पंचायतराज संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मूलभूत एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण पूर्व TNA (Training Need Analysis) की तैयारी हेतु एक दिवसीय कार्यशाला'' का शुभारंभ किया गया। वही **''मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र बनाने की एक पहल'', ''सुविचारित कर्ज'', ''आपकी सरकार आपके द्वार'', ''भारत की ''पंचायतराज व्यवस्था''– ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन के लिए पुरातन काल से लेकर आज भी कारगर''** आदि आलेख को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदया द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 12 सितंबर 2019 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

श्री राहुल भटनागर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में आगमन एवं ''टीएनए'' कार्यशाला का शुभारंभ

दिनांक 14.06.2019 को श्री राहुल भटनागर आईएएस, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय का जबलपुर आगमन हुआ। सचिव महोदय द्वारा एमजीएसआईआरडी एण्ड पीआर जबलपुर में ''म.प्र. पंचायतराज संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मूलभूत एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण पूर्व TNA (Training Need Analysis) की तैयारी हेतु एक दिवसीय कार्यशाला" का शुभारंभ किया गया।

कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में श्री संजय कुमार सराफ संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर द्वारा कार्यशाला का उद्देश्य एवं महत्व बताया गया। उन्होंने बताया कार्यशाला में सरपंच, उपसरपंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक कुल 82 प्रतिभागी कार्यशाला में उपस्थित हुये है।

उन्होंने आगे बताया कि आगामी पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के पूर्व शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण (Pree Poll) एवं निर्वाचन पश्चात नवनिर्वाचित पंचायतराज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण (Post Poll) हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। संस्थान के ह्यूमन रिसोर्स पूल लगभग 7000 प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर का सहयोग लिया जायेगा।

कार्यशाला में उपस्थित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये गये –

- नव निर्वाचित पंचायतराज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है।
- पंचायतों को दिये गये वित्तीय अधिकारों एवं उनके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण एवं बजट

निर्माण संबंधी प्रशिक्षण अतिआवश्यक है, जिससे जबावदेही तय की जा सके।

- पंचायतों में संधारित किये जाने वाले रिकार्ड मेंन्टेनेंस विषय संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किये जावे।
- प्रशिक्षण में पंचायतों द्वारा स्वयं के आय अर्जन कैसे हो, करारोपण संबंधी विषय पर पृथक से प्रशिक्षण होना चाहिये। ताकि पंचायतें आत्म निर्भर बन सके।
- प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों को प्राप्त होने वाले फण्ड के उपयोग की जानकारी दी चाहिये।
- प्रशिक्षण के अभाव में वास्तविक कार्ययोजना का निर्माण नहीं हो पाता।
- पंचायत स्तर पर बजट का निर्माण कैसे किया जावे इसे बनाने हेतु किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिये इस विषय पर भी पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होना चाहये।
- ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में निर्मित होने वाली बड़ी–बड़ी कॉलोनियों हेतु कॉलोनाइजर संबंधी नियमों का प्रशिक्षण आवश्यक है।
- पंचायत में कार्यरत पंचायत पदाधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिये एवं निश्चित अंतराल में प्रशिक्षण होते रहना चाहिये।
- पंचायतों की समितियों एवं उनकी बैठकों तथा उनके कार्य दायित्व संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक है।
- पंचायतों की बैठक समय पर नहीं होती।

- ग्राम सभा के बारे में ऐजेण्डा, बजट की जानकारी का अभाव ग्रामीणों को होता है।
- निर्माण कार्य हेतु रू. 15 लाख तक ग्राम पंचायत एजेन्सी होती है। नियम का पालन नहीं कर पाते, सप्लायर के बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता।
- वित्तीय नियमों की जानकारी का पंचायत स्तर पर अभाव होता है। जिससे अनिमियतायें निर्मित होती हैं।
- सामाजिक अंकेक्षण एवं जीएसटी के प्रावधानों संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक है।
- ग्राम सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति कम होती है। अतः महिला प्रतिनिधियों का ओरियेन्टेशन एवं मोटीवेशन आवश्यक है।
- पंचायत स्तर पर दिव्यांगों हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में, उनके साथ कैसा व्यवहार हो इस विषय पर पदाधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु जीपीडीपी कार्ययोजना तैयार करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आवश्यक है।

श्री राहुल भटनागर आई.ए.एस., सचिव, भारत सरकार द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुये निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया–

- पंचायतों की स्वयं की आय अर्जन पर जोर दिया जावे।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार पंचायतों के विकास हेतु पृथक से बजट का प्रावधान रहता है।
- सरकार द्वारा आम जन से लिये जा रहे विभिन्न प्रकार के टैक्स की राशि भी पंचायतों के विकास हेतु आबंटित की जाती हैं।
- जीपीडीपी के प्लान को अक्टूबर–नवम्बर में रिवाइस किया जा सकेगा।
- पूरे देश में 30 लाख नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों है जिससे 13 लाख महिलायें है।
- ग्राम विकास की कार्ययोजना बनाते समय वार्ड/पंच की भूमिका होनी चाहिये।
- प्रशिक्षण की योजना बनाते समय पंचों के प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखें है।
- अधिकारी गांव में जाकर अनौपचारिक रूप से गांव में 2–3 घण्टे का समय वितायें। लोगो की समस्याओं को गंभीरता से सुने।
- गांव के नौजवानों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनके भविष्य के संबंध में उनके अपेक्षायें को समझे एवं पंचायतों की कार्ययोजनाओं में उसे शामिल करें।
- 15 साल बाद लोगो की आवश्यकताएँ बदल जाएगी इसका आशय है कि विकास हो रहा है।

सचिव महोदय द्वारा प्रतिभागियों से खुली चर्चा कर उनके अनुभवों को साझा कियाः–

- **सुश्री मोना कौरव सरपंच** ग्राम पंचायत सडूमर जिला नरसिंहपुर द्वारा कुपोषण पर, पंचायत प्रतिनिधियों के शक्तियों एवं कार्यदायित्वों पर तथा अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों में एक्पोजर विजिट द्वारा प्रशिक्षण पर जोर दिया।
- **श्री महेश महोबिया उपसरपंच** ग्राम पंचायत बेलखेड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा ग्राम विकास

की प्लांनिग में सभी की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया गया।

- **श्री शिवप्रसाद पटेल सरपंच** ग्राम पंचायत पडुआ जिला जबलपुर ने पंचायतों को सशक्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया।
- **श्री सुभाष पटेल सचिव** ग्राम पंचायत घुन्सौर जिला जबलपुर द्वारा जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उनके पारस्परिक तालमेल को विकास का आधार बताया।

उपरोक्त सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों हेतु निर्वाचन के तत्काल बाद प्रशिक्षण की आवश्यकता को अनिवार्य बताया गया।

सभी प्रतिभागियों के सुझाव व अनुभव प्राप्त करने के उपरांत सचिव महोदय भारत सरकार द्वारा सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य दायित्व के प्रति गंभीरता रखने एवं स्वयं को समयअनुसार अपडेट रहने को कहा गया एवं नई तकनीकों का प्रयोग अपने ग्राम के विकास में उपयोग करने की बात कही।

इस टीएनए कार्यशाला में कलेक्टर जबलपुर श्री भरत यादव, अपर संचालक, पंचायतराज संचालनालय श्री प्रद्युम्न शर्मा, संयुक्त आयुक्त जबलपुर संभाग श्री अरविंद यादव एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला जबलपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, 06 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के प्रतिनिधि तथा 07 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में संस्थान के संचालक द्वारा सचिव भारत सरकार को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया एवं आभार प्रदर्शन किया गया।

राजीव लघाटे
सीईओ, जनपद पंचायत

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 12.09.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. स्वच्छ भारत मिशन –

1.1 LOB-1 एवं LOB-2 के कार्यो की प्रगति के लिए पुनः सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शौचालय निर्माण तथा टूटे–फूटे शौचालयों के मरम्मत कार्यो को 15 सितम्बर तक पूर्ण करते हुये MIS में प्रविष्टि दर्ज करें।

2. सामाजिक अंकेक्षण –

2.1 गैर पायलट 28 जिलों द्वारा वर्ष 2029–20 के प्रथम त्रैमास में सम्पन्न सामाजिक अंकेक्षण की 100 प्रतिशत MIS Entry 03 दिवसों में पूर्ण करें।

2.2 पायलट एवं गैर पायलट जिलों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियान्तर्गत ग्राम सामाजिक एनिमेटर के रूप में चिन्हांकित वेयरफुट टेक्नीशियन की संख्या से सामाजिक अंकेक्षण समिति को तत्काल उपलब्ध कराए।

2.3 सभी जिले वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवीन पद्धति से पायलट सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति में नवीन प्रक्रिया से VSA चिन्हांकन हेतु साक्षात्कार आयोजित कर कार्य को पूर्ण कराएं।

2.4 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जिलेवार आबंटित राशि के विरूद्ध 40 प्रतिशत से भी कम राशि का व्यय कुछ जिलों के द्वारा किया गया है। शेष जिले इस संबंध में शीघ्र अवगत कराएं।

2.5 वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्पन्न सामाजिक अंकेक्षण की मनरेगा पोर्टल पर एमआईएस की प्रविष्टि बहुत ही कम हुई है। जिन जिलों के द्वारा प्रविष्टि नहीं की गयी है। 03 दिवसों में कार्य पूर्ण करें।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –

3.1 **जल शक्ति अभियान**– अंतर्गत लक्ष्य को जिलों द्वारा प्रचलित कार्यो को पूर्ण करना था, जो कि प्रदेश स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश स्तर पर 2879 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वर्तमान में प्रचलित कार्य 2029 हैं, अतः ऐसे कार्य जहॉ 75 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ है। इन कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कर लिया जाए।

3.2 **नदी पुनर्जीवन**– अंतर्गत कार्यो के प्रशासकीय स्वीकृति की समीक्षा में जिलों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय किए जाने की गति अत्यंत धीमी है, सभी जिले चयनित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति अविलंब जारी करें, ताकि मानसून पश्चात् नदी पुनर्जीवन के कार्यो का तीव्र गति से क्रियान्वयन किया जा सके।

3.3 **लेबर बजट**– लक्ष्य एवं उपलब्धि पर चर्चा (40 प्रतिशत से कम प्रति वाले जिले) प्रदेश का लेबर बजट 22 करोड़ के विरूद्ध 09.52 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है, विगत 07 दिवस में 24.40 लाख मानव दिवस सृजित कराए गए हैं। प्रदेश के 20 जिले ऐसे है जहॉ सृजित मानव दिवस की संख्या 40 प्रतिशत से कम है। वह जिले है– नरसिंहपुर, अनूपपुर, पन्ना, शहडोल, उमरिया, सागर, अलीराजपुर, विदिशा, जबलपुर बैतूल, रायसेन, रीवा, गुना, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, सीधी, कटनी, छतरपुर एवं सिंगरौली। सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार लक्ष्यपूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर निरंतर समीक्षा की जाए।

3.4 गौशालाओं के निर्माण– गौशाला परियोजना लक्ष्य के विरूद्ध जिला स्तरीय समन्वय समिति से अनुमोदित स्थल कुल 947, निर्माण कार्य कुल 844 प्रारंभ किए गए हैं। 14 जिले ऐसे हैं, जिन्हें लक्ष्य की पूर्ति हेतु 05 या अधिक गौशाला निर्माण कार्य प्रारंभ करना शेष है, जिले क्रमशः छतरपुर, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, पन्ना, सागर, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ उज्जैन एवं विदिशा हैं। अतः गौशाला निर्माण कार्य जिला स्तर पर प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त जिलों को जिला स्तर पर सामग्री मद की राशि 40 प्रतिशत की सीमा में संधारित रखने हेतु अकुशल श्रम मूलक कार्यो को अधिक संख्या में लिया जाए।

4. पंचायतराजः–

4.1 राज्य स्तर से स्वीकृत वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के निरस्त कार्यो की जानकारी के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक 9278 दिनांक 11.07.2019 द्वारा वांछित जानकारी आगामी वीसी के पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध करांए।

4.2 जिला पंचायत/जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकल्प पर प्रदत्त राशि के वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायतराज संचालनालय को आगामी वीसी के पूर्व शीघ्र उपलब्ध कराएं अन्यथा संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

5. मनरेगा, पीएमएवाय एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2019–20 के लक्ष्य पूर्ति के रणनीति के संबंध में गुना, बुरहानपुर, कटनी, सीधी, छतरपुर एवं रतलाम जिलों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

6. आगामी वीडियों कॉन्फ्रेंस दिनांक 19.09.2019 में नदी पुर्नजीवन पर जिला– नीमच, रीवा, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर एवं अनूपपुर द्वारा मनरेगा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित टेम्पलेट में प्रस्तुतीकरण किया जावेगा।

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र बनाने की एक पहल

अनुच्छेद 21 क. शिक्षा का अधिकार के अनुसार राज्य, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।

राईट टू एजूकेशन एक्ट 2009 की धारा 11 में निम्नानुसार लेख किया गया है –

प्रारंभिक शिक्षा के लिये बच्चों को तैयार करने के उद्देश्य से ''शिशु देखभाल एवं शिक्षा'' सुविधा 3 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों को उनकी 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक उपलब्ध कराई जायेगी। शाला पूर्व शिक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का दायित्व संबंधित राज्य का होगा। इसके अनुसार ''प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने के लिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा नेशनल ई.सी.सी.ई.पालिसी 2013 बनाई गई।

मध्यप्रदेश में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

1. ''बाल चौपाल''

आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्रिय बाल विकास केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रतिमाह की 25 तारीख को ई.सी.सी.ई.डे का आयोजन ''बाल चौपाल'' के रूप में किए जाने का प्रावधान किया गया। ''बाल चौपाल'' एक ऐसा मंच है जहां माह में एक बार बच्चे, अभिभावक तथा समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं।

नये निर्देशों के तहत अब माह के **''तीसरे मंगलवार''** को बाल चौपाल का आयोजन किया जाएगा।

2. ''पाठ्यचर्या का निर्माण''

प्रदेश तथा देश के विभिन्न विषय विशेषज्ञों की मदद से प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ई.सी.सी.ई.पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया।

3. ''पाठ्यक्रम का निर्धारण''

- पाठ्यचर्या के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए 19 विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया।

वार्षिक योजना को माहवार विषयों के आधार पर बांट कर संपूर्ण माह में उस विषय से संबंधित गतिविधियां करवाई जानी है। मासिक गतिविधियों को सप्ताह में बांट कर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गईं हैं।
दैनिक कार्ययोजना कार्यकर्ता के द्वारा बनाई जाएगी।

4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए दिशा निर्देश

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विषयवार जानकारियों का संकलन हेण्ड आउट के रूप में तैयार किया गया है जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश नाम दिया गया। बच्चों को वर्ष भर में करवाई जाने वाली गतिविधियों का संकलन तथा मासिक एवं साप्ताहिक कैलेण्डर दिशा निर्देश में उपलब्ध करवाए गए हैं।

5. 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक

बच्चों के लिए आयु समूह के अनुसार 3 एक्टिविटी वर्क बुक (गतिविधि कार्यपुस्तिका) तैयार करवाई गईं।

6. 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विकास कार्ड

बच्चों के विकास का अवलोकन करने के लिए आयु समूह के अनुसार शिशु विकास कार्ड बनाए गए।

7. आंगनबाड़ी छोड़ने का प्रमाण–पत्र

आंगनबाड़ी छोडते समय बच्चों को दिए जाने हेतु प्रमाण पत्र तैयार किया गया है।

8. पी.एस.ई.किट की उपलब्धता

आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिवर्ष पी.एस.ई.किट उपलब्ध करवाई जा रही है।

9. ''कुशलता आधारित प्रशिक्षण''

- निपसिड से प्रशिक्षित स्टेट रिसोर्स ग्रुप के द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किए गए।
- राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा पर्यवेक्षकों को **''हेण्ड्स ऑन''** प्रशिक्षण दिया गया।
- पर्यवेक्षकों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 दिन का तथा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक दिन का संयुक्त **''हेण्ड्स ऑन''** प्रशिक्षण दिया गया।

10.''समुदाय का उन्मुखीकरण''

नवीन पाठ्यक्रम तथा शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा से अवगत कराने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा समुदाय का एक दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया।

10.''पाठ्यक्रम का पायलट टेस्ट''

तैयार किए गए पाठ्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले उसके व्यवहारिक प्रयोग की प्रमाणिकता मापने के लिए प्रदेश के 8 जिलों की 14 परियोजनाओं के 2569 केंद्रों में इसका प्रयोग करने का निर्णय ई.सी.सी.ई.सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 8/6/2015 में लिया गया।

11. ''पायलट का पोस्ट टेस्ट''

- पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता को परखने के लिए एड एट एक्शन, म.प्र.लोकसहभागी साझा मंच, एस.आई.आर.डी.जबलपुर, निपसिड इंदौर, यूनिसेफ, अंकुर स्कूल भोपाल तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा पायलट परियोजनाओं का भ्रमण कर परिणामों का आकलन किया गया।
- व्यवहारिक प्रयोग में आई कठिनाईयों तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। डिजाइनिंग और छायांकन का कार्य प्रचलित है।

12. ''ई.सी.सी.ई.परिषद का गठन''

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश क्र. एफ/19–37/2015–1–4:: भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2015 के द्वारा राज्य स्तर पर 2 स्तरीय ई.सी.सी.ई.परिषद का गठन किया गया। ई.सी.सी.सी.सामान्य परिषद की अध्यक्ष माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा ई.सी.सी.ई. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं।

परिषद प्रदेश स्तर पर ई.सी.सी.ई.से संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए नियमों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेती है।

13. कार्य आवंटन नियमों में संशोधन

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र.331 दिनांक 6 अगस्त 2016 के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यावंटन नियमों में सम्मिलित किया गया है।

14. शाला पूर्व शिक्षा नीति तथा नियामक दिशा निर्देश

वर्तमान में प्रदेश स्तर पर शाला पूर्व शिक्षा नीति तथा नियामक दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं।

16. आंगनबाड़ी केंद्रों का बाल शिक्षा केंद्र के रूप में रूपांतरण

अब प्रदेश के 313 आंगनबाड़ी केंद्र **''बाल शिक्षा केंद्र''** के रूप में विकसित किया जा रहे हैं। इन केंद्रों को विशेष रूप से बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय मद के अतिरिक्त सी.एस.आर.(कार्पोरेट सेक्टर रिस्पोन्सबिलीटि) मद के तहत भी राशि का उपयोग किया जा रहा है। इसे क्रमबद्ध चरणों में पूरे प्रदेश में लागू किये जाने की योजना है।

शाला पूर्व शिक्षा के सफल संचालन हेतु चार स्तरों पर कार्ययोजना बनाई जाती है –

1. वार्षिक कार्ययोजना
2. मासिक कार्ययोजना
3. साप्ताहिक कार्ययोजना
4. दैनिक कार्ययोजना

बच्चों के खेलने एवं सीखने के लिए वातावरण

कमरे की रंग बिरंगी साज–सज्जा बच्चों को खेलने और सीखने के लिए सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चे जो चीजें सामने देखते हैं, उन्हें छूने का प्रयास करते हैं। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र की हर चीज उनके खेलने का साधन बन जाती है।

बाल सुलभ खेलने के स्थान, बच्चों के सीखने के लिए वास्तविक वातावरण निर्मित करते हैं। अतः बच्चों को खोज करने, अनुसंधान करने व सीखने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करें।

कक्ष के अंदर का वातावरण

कक्ष में चार्ट/पोस्टर/कटआउट आदि दीवारों पर लगाए। बच्चों के द्वारा बनाई गई सामग्री का प्रदर्शन कक्ष में करे इससे बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। कमरे के भीतर अलमारियों व फर्नीचर/पर्दों के माध्यम से विभाजन कर अलग–अलग गतिविधि कोने बनाएं। बच्चे छोटे व अलग–अलग समूहों में कोनों के माध्यम से एकाग्र होकर गतिविधि कर सकते हैं।

बाहरी वातावरण

बच्चों की बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए खेलकूद, भागदौड़ उछलना, चढ़ना–उतरना आदि शारीरिक गतिविधियां आवश्यक होती हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर खुला स्थान होना जरूरी है। प्रत्येक दिन एक विशेष समय के अन्तराल में बाहरी खेलों जैसे– चढ़ने–उतरने वाले खेल, दौड़ने भागने वाले खेल, शारीरिक हलचल व संतुलन वाले खेलों को सम्मिलित करें।

बगीचे में गड्ढ़ों को खोदना, भरना, पौधे लगाना, रेत व पानी के खेल आदि के लिए बाहर पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर अलग–अलग कोने बनाए जा सकते हैं। जैसे –

1. रेत से खेलने के लिए कोना
2. मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कोना
3. झूले
4. संतुलन के खेलों के लिए कोना
5. फिसल पट्टी
6. बागवानी के लिए कोना

   (स्थान उपलब्ध होने पर फूल, शाक–सब्जी, तथा पौधे भी लगाए जा सकते हैं।)

आंगनवाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा हेतु केंद्र पर गतिविधियों का आयोजन करने का तरीका

1. आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन 3 से 4 घण्टे शाला पूर्व शिक्षा हेतु दें।
2. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाएं। जैसे– गीत, कविता, कहानी, नाटक, वार्तालाप अर्थात् बातचीत, धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्यौहार, जन्मदिन, खेल, समूह में काम करने के अवसर, किताबें–चार्ट–पोस्टर देखने के अवसर, कागज–मिट्टी–रेत के खिलौने बनाना आदि।
3. एक गतिविधि के लिए 15–20 मिनिट का समय दें क्योंकि 3–6 वर्ष के बच्चे एक गतिविधि पर इससे अधिक समय तक ध्यान नहीं दे पाते।
4. दो गतिविधियों के बीच बच्चों को व्यवस्थित होने के लिए समय दें।

आंगनवाड़ी केन्द्र के सफल संचालन के लिए सभी गतिविधियों का निश्चित समय पर पूर्ण होना आवश्यक हैं। अतः आप विभाग द्वारा प्रदान की गई समय सारणी का नियमित उपयोग करें।

आंगनवाड़ी (बाल शिक्षा) केंद्रों के संचालन हेतु – दैनिक समय सारिणी

समय	गतिविधि
प्रातः 9 बजे	• आंगनवाड़ी खोलना तथा बच्चों का स्वागत करना • निर्मल समय – बच्चों की साफ–सफाई का अवलोकन तथा आवश्यकतानुसार बच्चों की व्यक्तिगत साफ–सफाई, एवं अच्छी आदतों के बारे में बताएं। • प्रार्थना
9:30–10:00	सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
10:00–10:30	**नाश्ता**
10:30–11:00	बच्चों के द्वारा स्वतंत्र खेल
11:00–11:30	छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन
11:30–12:00	भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन
12:00–12:30	रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
12:30–1:00	बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन
1:00–2:00	भोजन एवं बच्चो को उनके घर (अभिभावकों) तक पहुंचाना

श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ,
संकाय सदस्य

सुविचारित कर्ज

भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है । यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के कारण यहाँ मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है । हमारा देश स्वतंत्रता के बाद से ही औद्योगिक विकास क्रांति व हरित क्रांति के माध्यम से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रयासरत रहा है, किंतु इन सभी के उपरांत भी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 177 देशों में 128 वां है । यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना आय भी कम है । जो कि हमारे देश को निम्न आय वर्ग वाले देशों की सूची में रखता है । हमारे देश में गरीबी के जहाँ अनेक कारण हैं, वही एक कारण गरीब व अति गरीब वर्ग के व्यक्ति को समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिलना भी उसके विकास में बाधक है । चूंकि हमारे देश की आधी से अधिक आबादी ग्रामों में निवास करती हे । इसलिए इन विसंगतियों का प्रभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पड़ता है ।

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों के पास बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा अचानक आई मुसीबत के वक्त में छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाना आम बात है, और यह कर्ज अधिकांश गैर उत्पादक कार्यों हेतु लिया जाता है । जिसको चुकाते–चुकाते व्यक्ति महाजन व साहूकारों के चंगुल में बुरी तरह से फंसता जाता है । और वह गरीबी के दुष्चक्र मे शामिल हो जाता है, व जिंदगी भर उस दुष्चक्र में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं ।

व्यक्ति कर्ज अपने जीवन में कब, क्यों, और कैसे लेते हैं और वह कर्ज लेने के पश्चात अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं, इसे हम निम्नानुसार समझ सकते है :–

कर्ज क्या है ? :–

कर्ज या उधार लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम किसी संस्था या व्यक्ति से रूपये लेते हैं और लिए गए कर्ज के रूपयों को हमें कर्ज लिए जाने की शर्तों के अनुरूप निर्धारित ब्याज दर के साथ चुकाना पड़ता है।

हम कर्ज क्यों लेते हैं ? :–

इसमें हम प्रतिभागियों से यह जानने का प्रयास करेंगे की हम कर्ज क्यों लेते हैं वे कौन–कौन से कारण हैं जब व्यक्ति कर्ज लेता है ।

- आमदानी से यदि खर्च अधिक है तो कर्ज लेते हैं ।
- संपत्ति है पर नगद नहीं है तो कर्ज लेना पड़ता है ।
- नियमि आमदानी नहीं है तो परिवार के खर्चों को उठाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है ।

अर्थात कर्ज लेना एक वित्तिय निर्णय है जो किसी भी परिवार पर दीर्घगामी प्रभाव डालते है । सामान्यतः गरीब तबके या माध्यम वर्गीय व्यक्ति कर्ज लेने को वित्तीय समस्या का आसान समाधान मानते है, आशय यह है कि अधिकाशं लोगों के लिए कर्ज समस्या से मुक्त होने का आसान रास्ता होता है लोग कर्ज लेना व देना रोजमर्रा की बात समझते हैं ।

कर्ज लिये जाने के प्रमुख कारण :–

(1) **सामाजिक प्रतिष्ठा** : 1. तीर्थ यात्रा मे जाना 2. त्यौहार 3. पारिवारिक शादी में सम्मिलित होना ।

(2) **घरेलू आवश्यकताऐं** : 1. भोजन 2. किराया 3. कपड़ा 4. पढ़ाई

(3) **निजी संपत्ति खरीदना** : 1. घर 2. गहने 3. सोना 4. गाड़ी 5. टी.व्ही., फ्रिज

(4) **व्यापार के लिए संपत्ति खरीदना** :– 1 दुकान 2 मशीन 3 यंत्र

(5) **मनोरंजन और दुर्गुण** : 1. मदिरा 2. पान–गुटखा 3. जंक फूड 4. ज्यादा फिल्में

(6) **आपातकाल का संचालन** : 1. दुर्घटना 2. अस्पताल में भर्ती 3. बीमारी 4. मृत्यु

5. प्राकृतिक आपदाऐं व्यक्ति पर

कर्ज लेने नकारात्मक प्रभाव :–

1. मानसिक तनाव 2. खराब स्वास्थ 3. समाज में स्थान
4. आत्मविश्वास में कमी 5. पारिवारिक विघटन

कर्ज लेने के पहले एवं बाद के घटक :– सामान्यतः व्यक्ति कर्ज लेने से पहले किसी प्रकार की तैयारी या विचार नहीं करता करता है । जो कि बाद में उसे गरीबी के दुष्चक्र में लाकर खड़ा कर देती है । अतः नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो कि उधार या कर्ज लेने से पहले ध्यान में रखना आवश्यक होगा ।

(1) **वर्तमान स्थिति :–**

1. परिवार द्वारा क्या पहले से कर्ज लिया है।
2. ब्याज की किस्तें देनी क्या अभी बाकी है ।
3. कर्ज चुकाने हेतु अतिरक्ति कर्ज तो नहीं लिया गया ।

(2) **भविष्य की स्थिति** :–

1. कर्ज की किस्तों को चुकाने हेतु क्या व्यक्ति की नियमित आमदनी है ।
2. कर्ज को चुकाने हेतु क्या अतिरिक्त प्रयास करेंगे ।

3. कर्ज लेने के बाद क्या उसकी इससे अतिरिक्त आमदानी होगी ।

उक्त बातों को ध्यान रखकर हम कर्ज की उपयोगिता की सिद्ध कर सकते हैं एवं इस तरह से सुविचारित कर्ज व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होता है ।

कर्ज के भाग :– सामान्यतः कर्ज को हम दो भागों में बांट सकते हैं –

1. ऐसा कर्ज जो व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए लिया जाता है ।
2. ऐसा कर्ज जो उत्पादकीय अर्थात जिससे अतिरिक्त आमदान का निमार्ण हो ।

अतः उत्पादन के कार्यों के लिये लिया गया कर्ज ऐसी संपत्ति का निर्माण करेगा जो व्यक्ति के लिए आमदनी उत्पन्न करेगा एवं संपत्ति को बढ़ाने के लिऐ कर्ज लेने की अनुमति मिल सकती है।

अतः हमें आवेश में आकर अत्यंत कम समय में पूरी तरह से विचार किए बगैर कर्ज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए । कर्ज लेने से पहले कर्ज के विविध पहलुओं पर विचार करना मात्र ही काफी नहीं है वरन् कर्ज लेने के पश्चात भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं । जिसमें ध्यान दिया जाना आवश्यक है जैसे :–

1. कर्ज चुकाने की योजना
2. यदि आमदनी समय पर नहीं मिली तो अन्य वैकल्पिक रास्ते जिससे ब्याज चुकाया जायेगा ।
3. कर्ज के लिए, लिये गए पैसों को उत्पादक कामों में लगाना ।
4. कर्ज का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इस पर नजर रखना ।

कर्ज लेने के विकल्प :–

1. साहूकार/महाजन 2. एस.एच.जी. 3. अतिलघु वित्तीय संस्थाऐं 4. बैंक 5. सगे संबंधी 6. मित्रगण

कर्ज लेने के दुष्परिणाम :–

1. कर्ज का दबाव हमको हमारे रोजमर्रा के कामों से विचलित करता है ।
2. कर्ज कभी मानसिक शांति नहीं प्रदान करता है ।
3. व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होता है ।
4. बार–बार कर्ज लेने से सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचता है ।
5. पारिवारिक जीवन दुखी हो जाता है ।

अतः कर्ज लेने के बुनियादी कारणों को यदि व्यक्ति एक बार अच्छी तरह से समझ ले तो वह बार–बार कर्ज लेने की आदत से छुटकारा पा सकता है । क्यों कि यदि कर्ज संपत्ति को बढ़ाने के लिए लिया गया हो तो यह अच्छा होगा किंतु यदि इससे किसी भी प्रकार की उत्पादक आय नहीं होती है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है ।

नीलेश कुमार राय,
संकाय सदस्य

आपकी सरकार आपके द्वार

प्रदेश वासियों की समास्या के निराकरण के मध्यप्रदेश शासन ने 2 अगस्त 2019 से ऐतीहासिक पहल कर ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम की शुरूआत की है।

आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत प्रत्येक माह में दो बार जिला स्तरीय सभी अधिकारी ग्राम भ्रमण कर शिविर का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों को समन्वय कर शिविर में उपस्थिति हेतु प्रयास किये जावेगें

संबंधित भ्रमण ग्राम में जिला स्तर के सभी अधिकारी उपस्थिति होकर ग्राम भ्रमण करेगें भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं आवश्यकताओं का त्वरित निराकरण करेंगें सभी आवेदन ''आपकी सरकार आपके द्वार" पोर्टल में फीड किये जावेगें।

- सभी प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समय सीमा निश्चित की जावेगी
- ग्राम भ्रमण के समय गांव की शासकीय संस्थाओं जैसे – स्कूल आंगनवाडी हास्टल उचित मूल्य की दुकार अस्पाताल एवं पंचायत भवन का निरीक्षण मंध्याह भोजन कार्यक्रम के अंन्तर्गत पोषण आहार वितरण स्कूल शिक्षण कार्यो का निरीक्षण शामिल है।
- विकास खण्ड भ्रमण हेतु मुख्यालय, सप्ताहिक बाजारों वाले ग्रामों का चयन किया जावेगा।
- आपकी सरकार आपके द्वार शासन की अभिनव पहल है, इसका उद्धेश्य शासन से ग्रामीणों को करीब लाना एवं प्रशासन की जबाबदेही सुनिश्चित करना है।
- भ्रमण के पश्चात् ग्राम में ही शिविर करना एवं आवेदनों का निराकरण करना है।
- इसी तारतम्य में 2 अगस्त 2019 जिला सिवनी के अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत नरेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम सर्वप्रथम जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्राम बडोंल का भ्रमण किया गया तत्पश्चात आयोजित शिविर ग्राम नरेला में 205 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 07 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया, शेष 198 आवेदनों को समय सीमा निराकरण हेतु समय सीमा निश्चित की गयी सभी आवेदनों को आपकी सरकार आपके द्वार पोर्टल में फीड किये गये।
- शिविर में आयुष विभागों द्वारा स्टाल भी लगाकर ग्रामीण का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।
- शिविर में विधायक जिला पंचायत उपाध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य कलेक्टर एसपी अपर कलेक्टर उपस्थित रहें।

''निश्चित ही शासन की आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभिनव पहल है।''

सी.के. चौबे
संकाय सदस्य

भारत की ''पंचायतराज व्यवस्था'' – ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन के लिए पुरातन काल से लेकर आज भी कारगर

पंचायतराज व्यवस्था भारतीय समाज में रची–बसी पूरी तरह से एक प्रासंगिक प्रणाली थी और ग्रामीण इलाके के जनजीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पहले भी गांव के लोगों के मन में पंचायत के पंचों का दर्जा ''परमेश्वर'' के बराबर था और इनसे सदा निःस्वार्थ एवं निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा रही। पंच पूज्यनीय, जन–जन के मान्य ऐसे प्रतिनिधि थे, जिनके निर्णयों पर कभी प्रश्न नहीं उठते थे। सभी पक्ष उनके निणर्यो को बिना किसी हिचक के माना करते थे। उस उच्च मान्यता से, आज की स्थिति, की तुलना करने पर अत्यंत ही कष्ट की मनःस्थिति बनती है। यह स्थिति एकाएक नहीं आ गई बल्कि इसके बनने के पीछे सदियों सदियों का अंतराल और परिवर्तनों का परिणाम शामिल है।

भारत में प्राचीन काल में आवागमन के साधनों की न्यूनता एवं कठिनाई के कारण से गांवों की आत्मनिर्भरता स्वाभाविक परिणाम थी। सांस्कृतिक संबंध देशव्यापी होने से स्थानीय विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण बना। चन्द्रगुप्त, अशोक और हर्षवर्धन के राज्यकाल में गांव एवं राजधानी का परस्पर संबंध एक स्पष्ट ग्राम प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत था। आज से 2300 वर्ष पूर्व मौर्यकालीन भारत का प्रशासनिक चित्र तथ्य की पुष्टि करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि गांव – एक दो कोस दूर बसे लोगों के स्थान को कहा जाता था। 10 गांव के समूह का क्षेत्र समग्रहण कहलाता था। इसी प्रकार 200, 400 एवं 800 ग्रामों के समूह की व्यवस्था थी। 200 गावों का समूह को काबातिक, 400 गांवों का समूह दौमुख एवं 800 गांवों के समूह को महाग्राम कहा जाता है। एक पूर्व समान्तीय प्रणाली थी।

ग्रामीण अचंल में प्रबंधन व्यवस्था

ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। ईसा से 100 वर्ष पूर्व मनुस्मृति में ग्रामिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण आता है । वैदिक काल से 1800 ईस्वी तक गांव संगठित एवं आत्मनिर्भर हुआ करते थे। दक्षिण भारत में प्राप्त शिलालेखों में गांव में 6 समितियों एवं 7 कर्मचारियों का उल्लेख स्पष्टता से है। मराठा काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिपत्य प्रथा प्रारंभ हुआ। उस समय मिरासदार तथा उपरीस हुआ करते थे। गांव एक स्वतंत्र ईकाई परकोटे से धिरा क्षेत्र होता था। मुगल काल में भूमि व्यवस्था गांव के हाथ से निकल गई। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् ग्राम शासन पूरी तरह छिन्न–भिन्न हो गया तथा ग्राम पंचायत की प्राचीन परम्परा मिटाकर, प्रबंधन के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की गई । मुट्ठी भर अंग्रेजों का करोड़ों की जनता पर शासन संभव हुआ। उद्धेश्य, जनशोषण एवं बिट्रिश शासकों को प्रसन्न करना था।

स्वतंत्रता के पश्चात्

वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् देश में योजनाबद्ध विकास का क्रम प्रारंभ हुआ। विकास के लिये पंचवर्षीय योजनायें बना कर उन पर क्रियान्वयन किया गया। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में चेतना जागृत करने के विचार को मूर्त रूप दिया गया । भारतीय समाज में स्तरबद्ध समाज जिसमें छोटे–बड़े, ऊँच–नीच, छूत–अछूत, जाति प्रथा के प्रभाव को मिटाने के प्रयास किये गये । संविधान के मसौदे में निदेशक तत्व में पंचायत को स्थान दिया गया ।

देश की पंचायतराज व्यवस्था

प्रजातांत्रिक संस्थाओं के संबंध में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 40 में यह बताया गया थ कि राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन का उपाय करेगा और उन्हें स्व–शासन की ईकाईयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये जरूरी अधिकार सौपेगें। राज्यों ने ग्रामीण समुदाय के लिये एक कर्तव्य के रूप में नागरिक तथा आर्थिक कार्यकलापों के लिये गांवों एवं गांवों के समूहों के लिये ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी।

पहले हमारे देश में पंचायतराज प्रणाली एक जैसी नहीं थी। बहुत से राज्यों में ग्रामसभा, जो लोगों का समूहिक निकाय है, इस ढ़ाचें की बुनियाद पक्की करती है। जबकी सामान्यतः ग्राम, विकासखंड़ तथा जिला स्तर पर या तो तीन स्तरीय ढ़ांचा था अथवा दो स्तरीय। कुछ राज्यों में केवल एक स्तरीय पंचायतें ही थी।

वर्ष 1952 में शुरू किये गये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास प्रशासन की ईकाई के रूप में एक प्रखंड सीपित किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ने इसका अनुसरण किया। वर्ष 1957 में नियुक्त किये गये बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल ने इन कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इस दल ने ऐसे स्थानीय निकायों के गठन की सिफारिश की जिनके पास आवश्यक संसाधन हों, जिनकी समर्पित शक्तियां और प्राधिकार हों और जिनके अधीन विकेन्द्रीकरण प्रशासन प्रणाली हो । इसने यह भी सिफारिश की,, कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बुनियादी ईकाई विकासखण्ड/समिति स्तर पर स्थापित की जानी चाहिये । अध्यनदल ले गांव अथवा गांव समूह के लिये सीधे निर्वाचित सदस्यों के साथ कार्यपालिका निकाय की एक प्रखंड के लिये हो जिसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है । इसके साथ ही जिला स्तर पर परोक्ष रूप से मुख्यतः निचले स्तर के पदों, सदस्यों तथा अन्य सदस्यों, जिनका अध्यक्ष जिलाधीश होता था, के माध्यम से गठित सलाहकार निकाय को जिला परिषद के नाम से जाना जाता था। अध्ययन दल की सिफारिशें देश में उस समय चल रही पंचायतराज प्रणाली के पूर्वाग्रह को दर्शाती थी।

कई वर्षो के अनुभव से यह बात भी सामाने आ रही थी कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में अधिकांश राज्य उदासीन थे। ज्यादातर राज्यों में पंचायतराज निकायें को शक्तियों और संसाधनों के अभाव में क्षीण होने दिया जा रहा था। योजना निर्माण, निर्णय लेने तथा उनके क्रियान्वयन को लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से लोगों को करीब लाने की आवश्यकता उभर कर सामने आ रही थी । उन समय की पंचायतराज प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत भी थी । ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के महती कार्य में सहभागिता की भावना पैदा करने, और विकास के ढ़ांचे के जिला तथा निचले स्तर पर लाने की मांग उठी।

विभिन्न राज्यों में पंचायतराज निकायों के कार्य संचालन के अनुभव द्वारा इसकी कमियों को ध्यान रखते हुये यह समझा गया कि इन संस्थाओं के निश्चिता, सत्तता तथा शक्ति प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन की जरूरत होगी।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य